

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550


क्रमांक: एफ.7(4)प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2020-21/1340

दिनांक : 16.12.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय:- प्रवेश नीति सत्र 2020-21 में आंशिक संशोधन बाबत

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति सत्र 2020-21 में चतुर्थ भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम की बिन्दु संख्या 4.1.5 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को विलोपित समझा जावे। षष्ठम भाग के बिन्दु संख्या 6.1.1 में विधि संकाय सहित को विधि संकाय को छोड़कर पढा जावे। प्राचार्य एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय इन नियमों की पालना सुनिश्चित करें। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा ग्रुप-4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।


(जी. के. सोनी) 16.12.20
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)